रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062026-273370
CG-DL-E-11062026-273370

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 423] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2026/ज्येष्ठ 21, 1948
No. 423] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2026/JYAISTHA 21, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2026

सं. 53/2026-सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 473(अ).— जबकि, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, जिसे दिनांक 1 फरवरी, 2026 की अधिसूचना संख्या 02/2026-सीमा शुल्क, द्वारा संशोधित किया गया है (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है), के माध्यम से परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए सभी वस्तुओं पर देय संपूर्ण सीमा शुल्क से मुक्त आयात हेतु अनुमति दी गई है, जो उक्त अधिसूचना के क्रमांक 227क के समक्ष निर्दिष्ट टैरिफ मद 8401 30 00 के अंतर्गत आती हैं;

और जबकि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के तहत, अधिसूचना संख्या 45/2025-सीमा शुल्क दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, जैसा कि संशोधित किया गया है, के अनुसार भारत में आयातित उक्त वस्तुओं पर दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से दिनांक 31 जनवरी, 2026 की अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सीमा शुल्क की वसूली न करने के संबंध में एक प्रथा सामान्यतः प्रचलन में थी;

अतः, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि उक्त अधिसूचना के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उक्त वस्तुओं के आयात पर देय संपूर्ण सीमा शुल्क, यदि कोई हो, दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से दिनांक 31 जनवरी, 2026 की अवधि के दौरान उक्त वस्तुओं के आयात के संबंध में देना अपेक्षित नहीं होगा।

[फा. सं. 450/25/2025-सीमाशुल्क-IV]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2026

No. 53/2026 – Customs (N.T.)

G.S.R. 473(E).— Whereas, the notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as amended by the notification No. 02/2026-Customs, dated the 1st February, 2026 (hereinafter referred to as the said notification), allowed duty free import of goods from the whole of the duty of customs leviable thereon to all goods for generation of nuclear power, falling under tariff item 8401 30 00, specified against serial number 227A of the said notification;

And whereas, the Central Government is satisfied that a practice was generally prevalent regarding non-levy of duty of customs leviable under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), read with notification no. 45/2025-Customs dated the 24th October, 2025, as amended, on the said goods imported into India during the period from 1st April, 2019 to 31st January, 2026;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 28A of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, hereby directs that the whole of the duty of customs leviable under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) read with the said notification, if any, payable on the import of the said goods, during the period from 1st April, 2019 to 31st January, 2026 shall not be required to be paid in respect of import of the said goods.

[F. No. 450/25/2025-Cus-IV]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA